

08/9/25

उभय पक्षकारान उपास्थित । साक्ष्य वादी में गवाह
Pw₂ जीवठाराम के बयान लेखबद्ध किये गये ।
प्रकरण लक्षित प्रकरण हैं, अधिवक्ता वादी को
हिदायत दी जाती हैं साक्ष्य वादी में शेष समस्त गवाह
को अगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बयान देने
उपास्थित रखे । गवाह के अनुपास्थित रहने पर उक्त
गवाह की साक्ष्य बंद कर दी जावेगी । पत्रावली
वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 10/09/25 को पेश हो ।


अति० सिविल न्यायाधीश
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
किशनगढ़ जिला अजमेर